जा.क्र. 1145 4/9/24

प्ररूप - दो
(नियम - 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक: 122202437905

संदर्भ क्रमांक: 3259062409

यह प्रमाणित किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ सोसायटी जो C/O एँम.क्यू.खान, मकान नं. 36/422, R.S.पार्क के बाजू में बैरन बाज़ार, तहसील व जिला-रायपुर छत्तीसगढ़ तहसील Raipur जिला Raipur में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 02/07/2024 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

अनुपमा कुजूर
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

This is computer generated certificate. This certificate can be verified online at http://rfas.cg.nic.in/ through Certificate No. and Date of Registration

शुल्क 320 चालान क्र. 24603229/2331 दि. 30/8/24 द्वारा जमा किया गया है पंजीयन क्रं 122202437905 दिनांक 2/7/24 द्वारा पंजीकृत संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी का दिनांक 4/9/2024

Digitally signed by Anupma Devi Kujur
Date: 2024.07.02 13:47:15 +05:30
Reason: For Issuing Registration of New Society
Location: State Society

T C
4/9/2024
(अनुपमा कुजूर)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 22AA 607675

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ
प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है।

5/9/2024
(अनुपमा कुजूर)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

क्रमांक 2403 दिनांक 22/3/24 राशि 10

विक्रेता छ.ग. राज्य. [illegible]

पिता/पति/बेवा

निवासी [illegible] जिला रायपुर (छ.ग.)

मार्फत [illegible]

क्रेता जिला रायपुर (छ.ग.)

निवासी बैनामा प्रतिफल मूल्य

गवाह [illegible]

प्रदीप कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता
तेलीबाँधा, रायपुर (छ.ग.)
मो.-9131659008, 8817303050

MAY 2024

जॉ क्र
1145
4/8/24

प्रारूप कमांक—1

(देखिये नियम—3)

1) सोसाइटी का नाम :- **छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ**

2) सोसाइटी का C/O एम.क्यू.खान, मकान नं., 36/422, R.S. पार्क के बाजू में बैरन बाजार, तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

3) सोसाइटी के उददेश्य निम्नलिखित होगें :—

(1) **छत्तीसगढ़ राज्य वित्त** सेवा अधिकारी संघ के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य करना।

(2)वित्त अधिकारियों के अधिकार एवं उत्तरदायित्यों के निर्वहन में होने वाले समस्यों का निराकरण हेतु पहल एवं प्रयास करना।

(3)राज्य के वित्त व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करना।

4) सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालकों, समिति या शासी—निकास को सौंपा गया है, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है:—

अनुकमांक (1)	नाम (2)	पता (3)	उपजीविका (4)
1	श्री तिलक कुमार शोरी	एच.आई.जी.— 321, विजेता कॉम्पलेक्स, राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
2	सुश्री डॉ अल्पना घोष	ई— 2/36, ऑफिसर कॉलोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
3	मैं. इमरान खान	मकान नं. 36/422, R.S. पार्क के बाजू में बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
4	श्री नित्यानंद सिन्हा	श्री अर्जुन सिंह सिन्हा, बी—95 रामाग्रिन सिटी फेस—1, बहुमा नगर रोड़ खमतराई नौगल, बिलासपुर (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
5	श्री धीरज नशीने	श्री बृज किशोर नशीने, 380, वार्ड 13, साई कृपा, स्टेशन पारा, राजनांदगांव (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
6	श्री प्रेमलाल साहरा	S/O श्री देवार सिंह,15 विवेकानंद नगर, दुर्ग, (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
7	श्री अनिल कुमार पाठक	श्री प्रदीप कुमार पाठक , पी.—07 सेक्टर—02, प्रियदर्शिनी नगर,दयानंद नगर, रायपुर (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
8	श्री सुनील कुमार उपाध्याय	श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय, पी2ए 630, अटल नगर, सेक्टर—27, रायपुर, (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
9	सुश्री श्रध्दा सुमन एक्का	श्री जेरोम प्रसाद एक्का, 477/1, सरगीपाल पारा वार्ड 15, कोण्डागांव छ.ग.	शासकीय नौकरी
10	श्री रोहित कुमार	श्री रामनाथ साहू, वार्ड न. 11 तर्रा रायपुर (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
11	श्री अभिषेक शर्मा	S/O दुर्गा लाल शर्मा, मकान न. —336, वार्ड न. —11 बाबा रामदेव वार्ड, गंजपारा बेमेतरा (छ.ग.)	शासकीय नौकरी

5) छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक–44 सन् 1983) की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाईल की गई है, हम विभिन्न व्यक्ति, जिनमें नाम और पते नीचे लिखे गये है उपरोक्त प्रतिष्ठान ज्ञापन के अनसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक है और दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है।

6)

अनुक्रमांक (1)	अभिदाताओं के नाम पिता/पति का नाम सहित (2)	पता (3)	हस्ताक्षर (4)
1	श्री तिलक कुमार शोरी/ श्री नरसिंग शोरी	एच.आई.जी.– 321, विजेता कॉम्पलेक्स, राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)	
2	सुश्री डॉ अल्पना घोष/स्व. श्री एस.एस.घोष	ई– 2/36, ऑफिसर कॉलोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)	
3	मैं. इमरान खान/मो. कादीर खान	मकान नं., 36/422, R.S. पार्क के बाजू में बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.)	
4	श्री नित्यानंद सिन्हा/ श्री भजन सिंह सिन्हा	बी–95 रामाग्रिन सिटी फेस–1, बहुमा नगोई रोड़ खमतराई नौगल,बिलासपुर(छ.ग.)	
5	श्री धीरज नशीने/ श्री बृज किशोर नशीने	380, वार्ड 13, साईं कृपा, स्टेशन पारा, राजनांदगांव (छ.ग.)	
6	श्री प्रेमलाल साहरा/ श्री देवार सिंह,	15 विवेकानंद नगर, दुर्ग, (छ.ग.)	
7	श्री अनिल कुमार पाठक/ श्री प्रदीप कुमार पाठक	पी.–07, सेक्टर–02, प्रियदर्शिनी नगर,दयानंद नगर, रायपुर (छ.ग.)	
8	श्री सुनील कुमार उपाध्याय/ श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय,	पी2ए 630, अटल नगर, सेक्टर–27, रायपुर, (छ.ग.)	
9	सुश्री श्रध्दा सुमन एक्का/श्री जेरोम प्रमोद एक्का	477/1, सरगीपाल पारा वार्ड 15, कोण्डागांव छ.ग.	
10	श्री रोहित कुमार/ श्री रामनाथ साहू	वार्ड न. 11 तर्रा रायपुर (छ.ग.)	
11	श्री अभिषेक शर्मा/ श्री दुर्गा लाल शर्मा,	मकान न. –336, वार्ड न. –11 बाबा रामदेव वार्ड, गंजपारा बेमेतरा (छ.ग.)	

शुल्क 320 चालान क्र. 24603229/2331 दि. 30/8/24 द्वारा जमा किया गया है पंजीयन क्र. 122202437905 दिनांक 2/7/24 द्वारा पंजीकृत संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी का दिनांक 4/9/2024

तारीखः–

प्रति,

सोसाईटियों का रजिस्ट्रार
रायपुर (छ.ग.)

साक्षी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरः–

नामः– जोगेन्द्र सिंह गेंदले

पूर्ण पताः–सेक्टर– 17 एफ–3 ब्लॉक 503,
नया रायपुर (छ.ग.)

TC
4/9/2024
(अनुपमा कुजूर)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 22AA 607676

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ
ज्ञापन के साथ संलग्न है।

5/1/2024
(अनुपमा कुजूर)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

क्रमांक 2402 दिनांक 22/8/24 राशि 10

विक्रेता छ.ग. राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ

पिता/पति/पत्नी

निवासी रायपुर जिला रायपुर, (छ.ग.)

मार्फत डीडवार

क्रेता

निवासी .... जिला रायपुर (छ.ग.)

बेनामा प्रतिफल मूल्य

राशि 0100 ला

20 MAY 2024

RAIPUR (CHHATTISGARH)

प्रदीप कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता
तेलीबाँधा, रायपुर (छ.ग.)
मो.-9131659008, 8817303050

नियमावली

1. संघ का नाम:— **छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ**

2 संघ का कार्यालय **C/O एम.क्यू.खान, मकान न., 36/422, R.S. पार्क के बाजू में बैरन बाजार, तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)**

3 संघ का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ होगा।

4 <u>संघ का उद्धेश्य:—</u>

(1) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य करना।

(2) वित्त अधिकारियों के अधिकार एवं उत्तरदायित्यों के निर्वहन में होने वाले समस्यों का निराकरण हेतु पहल एवं प्रयास करना।

(3) राज्य के वित्त व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करना।

5 <u>सदस्यता</u> — संघ के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें :—

अ. <u>संरक्षक सदस्य :—</u> संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 1000/— या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

ब. <u>आजीवन सदस्य</u> :— जो व्यक्ति संस्था में दान के रूप में रूपये 500/-- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा, कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 500/-- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

स. <u>साधारण सदस्य</u> :— जो व्यक्ति रूपये 10/— माह रूपये 120/— प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा, साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोष जनक कारणों के छः माह तक देय चंदे की राशि देने का पुनः सदस्य बनाया जा सकता हैं।

द <u>सम्माननीय सदस्य</u> :— संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी उचित समझें सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है परंतु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

6 <u>सदस्यता की प्राप्ति</u> — प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदन पत्र कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसे आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7 **सदस्यों की योग्यता** – संघ का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्न लिखित योग्यता होना आवश्यक है:–

1. भारत का नागरिक हो
2. समिति के नियमों का पालन करने प्रतिबद्ध हो
3. छत्तीसगढ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ में पदस्थ होने वाले अधिकारी इसके सदस्य होगें।

8 **सदस्यता की समाप्ति** – संघ की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:–

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल हो जाने पर
3. संघ को देय वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा नहीं करने पर
4. त्याग–पत्र देने और वह स्वीकार होने पर
5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी
6. संघ के नियमों का उल्लंघन करने पर

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार समितियाँ के छत्तीसगढ़

9 संघ कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगें:–

1. प्रत्येक सदस्य का नाम एवं पता
2. वह दिनांक जिस दिन सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो एवं रसीद नं.
3. वह दिनांक जिस दिन सदस्यता समाप्त हुई हो
4. सदस्यों के हस्ताक्षर

10 अ. **साधारण सभा** :– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगें,

साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी, बैठक का माह अप्रैल तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संघ की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संघ के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होग कि वह संघ की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

ब. **प्रबंधन कारिणी सभा** :– प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक न्यूनतम तिमाही में एक बार होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. <u>विषेश सभा</u> :— यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिन से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11 <u>साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य</u> :—

(क) संघ के पिछले वर्ष का वार्षिक—विवरण, प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संघ की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
(च) संघ द्वारा संचालित संस्थाओं के आय—व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार समितियों के छत्तीसगढ़

12 <u>प्रबन्धकारिणी का गठन</u> — ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेगें, नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों निर्वाचन होगा। निर्वाचित सदस्यों की अधिवार्षिकी न्यूनतम 03 वर्ष होगी। अध्यक्ष के लिए न्यूनतम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी का प्रवर श्रेणी अधिकारी होना आवश्यक होगा। प्रबन्ध कार्यकारिणी निम्न प्रकार होगी—

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सचिव
4. कोषाध्यक्ष
5. संयुक्त सचिव
6. सदस्य — **06**

कार्यकारिणी सदस्य (10) तथा सभी संभागों के लिए संभागीय प्रमुख होंगे जिनका मनोनयन निर्वाचित पदाधिकारियों (01—05) द्वारा किया जावेगा।

13 <u>प्रबन्ध समिति का कार्यकाल</u> — प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा। कार्यकारिणी सदस्यों का कार्यकाल निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा तय किया जा सकेगा।

14 <u>प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य</u> —

(अ) जिन उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना
(ब) पिछले वर्ष का आय—व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सथा की बैठक में प्रस्तुत करना

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संघ की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय--समय पर सौंपे जांए।

(ई) संघ की समस्त चल अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(च) संघ द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्टार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी।

(छ) विशेष बैठक आमंत्रित कर संघ के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जवेगा।

15 **<u>अध्यक्ष के अधिकार</u>** – अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा। कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का संपादन किया जाएगा।

16 **<u>उपाध्यक्ष के अधिकार</u>** – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा एवं अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा। कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का संपादन किया जाएगा।

17 **<u>सचिव के अधिकार</u>** –

(अ) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(ब) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख करना।

(स) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(द) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय मे रूपये 10,000/– व्यय स्वीकृत करने का वित्तीय अधिकार होगा। इससे अधिक हेतु अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी ।

18 **<u>संयुक्त सचिव के अधिकार</u>** – सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा सचिव द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यालयीन कार्यो का संपादन किया जाएगा। प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का संपादन किया जाएगा।

19 **<u>कोषाध्यक्ष के अधिकार</u>** – समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना। कैश बुक संधारित करना, बैंक खाते के साथ मिलान एवं समय–समय पर अंकेक्षण करवाना। कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का संपादन किया जाएगा।

20 **<u>बैंक खाता</u>** – संघ की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। राशि का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

21 **<u>पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी</u>** – अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संघ की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जवेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संघ की परीक्षित लेखा मय नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

22 **<u>संशोधन</u>** – संघ के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संघ के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संघ के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय–नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी।

23 **<u>विघटन</u>** – संघ का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा विघटन के पश्चात् संघ की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्येश्यों वाली संघ को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24 **<u>सम्पत्ति</u>** – संघ की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संघ के नाम से रहेगी। संघ की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्टार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा या अन्याथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियम शुल्क संघ द्वारा जमा की जायेगी।

25 **<u>पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना</u>** – संघ की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होनें पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें की बैठक बुलाने का अधिकार होगा साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26 **<u>विवाद</u>** – संघ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगे रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

(अनुपमा कुजूर)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

22AA 607677

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ
नियमावली के साथ संलग्न है।

5/9/2024
(अनुपमा कुजूर)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

क्रमांक 2401 दिनांक 22/08/24 राशि 10

विक्रेता संघ छ.ग. राज्य [illegible] अधिकारी संघ

पिता/पति/बेवा ....

निवासी .... जिला रायपुर, (छ.ग.)

मार्फत [illegible]

क्रेता ....

निवासी .... जिला रायपुर. (छ.ग.)

वास्ते [illegible] बैनामा प्रतिफल मूल्य ....

20 MAY

प्रदीप कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता
तेलीबाँधा, रायपुर (छ.ग.)
मो.-9131659008, 8817303050